कार्यालय प्रधान न्यायाधीश,कुटुम्ब न्यायालय सुलतानपुर।

प्रशासनिक आदेश संख्या– 51 /2020

अध्यक्ष, बार एसोसिएशन सुलतानपुर के द्वारा प्रेषित पत्र दिनॉकित– 27.11.2020 के द्वारा दिनॉक–30.08.2020 दिन रविवार को मोहर्रम, दिनॉक–14.11.2020 को द्वितीय शनिवार एवं दिनॉक–15.11.2020 दिन रविवार को दीपावली के त्यौहार के दिनों में माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा घोषित अवकाश के एवज में दिनॉक 30.11.2020 दिन सोमवार को गुरूनानक जयन्ती एवं दिनॉक 14.12.2020 सोमवती अमावस्या के उपलक्ष्य में दो दिन का स्थानीय अवकाश घोषित किये जाने का निवेदन किया गया है।

अध्यक्ष बार एसोसिएशन सुलतानपुर एवं जनपद न्यायाधीश सुलतानपुर द्वारा पारित प्रशासनिक आदेश संख्या– 346/2020 दिनॉकित–25.11.2020 का अवलोकन किया गया। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के प्रयोग हेतु आपूर्ति किये गये वर्ष 2020 के कैलेण्डर के प्रस्तर संख्या–8 में दिये गये निर्देशानुसार दिनांक–30.08.2020 रविवार को मोहर्रम पर्व एवं दिनॉक–15.11.2020 को रविवार को दीपावली का पर्व पड़ने के कारण उसके स्थान दिनॉक–30.11.2020 एवं दिनॉक–14.12.2020 को अतिरिक्त अवकाश घोषित किया जाता है।

घोषित किये गये अवकाश की सूचना माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद प्रेषित किया जाय।

सभी सम्बन्धित सूचित हो।

(हस्ताक्षर) 27/11/20

प्रधान न्यायाधीश,कुटुम्ब न्यायालय,
सुलतानपुर।
दिनॉक–27.11.2020

प्रतिलिपि सूचनार्थः–

1– अध्यक्ष/ महासचिव बार एसोसिएशन सुलतानपुर।
2– अध्यक्ष/ महासचिव बार एसोसिएशन कादीपुर।
3– अध्यक्ष/ महासचिव बार एसोसिएशन मुसाफिरखाना।
4– पुलिस अधीक्षक सुलतानपुर/अमेठी।
5– अधीक्षक कारागार सुलतानपुर।
6– जिला सूचना अधिकारी,सुलतानपुर को राष्ट्रीय एवं स्थानीय समाचार पत्र में निःशुल्क प्रकाशन हेतु।
7– सिस्टम आफीसर को परिवार न्यायालय के बेव साइड पर अपलोड किये जाने हेतु।
8– नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।